कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 										दिनांक–

5.5 (JPM)

सेवा में,

1. कार्यपालक पदाधिकारी
   नगर परिषद, नरकटियागंज
   जिला– पश्चिम चम्पारण
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी,
   जिला– पश्चिम चम्पारण

प्राप्ति तिथि
05 MAR 2019
बिहार, पटना

A-D 16.3.19

महाशय,

नगर परिषद, नरकटियागंज के वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 70 / 18–19 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन के अपने कार्यालय से संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
06 MAR 2019
2748
संख्या.........
बिहार, पटना

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14766 / 265				दिनांक– 25-02-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

# प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 70/18–19

भाग– I

प्रस्तावना

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निरीक्षित कार्यालय का नाम | नगर परिषद, नरकटियागंज |
| 2 | लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र | वर्ष 2016–17 से 2017–18 से संबंधित रोकड़ पंजी, बैंक पासबुक, योजना पंजी एवं योजना अभिलेखों की नमूना जॉच |
| 3 | लेखापरीक्षा की अवधि | 07.12.2018 से 18.12.2018 तक |
| 4 | विस्तृत जॉच के माह | 12/2016 एवं 05/2017 |
| 5 | कार्यालय प्रधान का नाम | श्री मनोज कुमार पवन |
| | सभापति का नाम | श्री राधेश्याम तिवारी |
| | उप सभापति का नाम | श्री रत्नेश कुमार |
| 6 | लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण | श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, व.ले.प.<br>श्री रंजीत कुमार रजक, स.ले.प.अ.<br>श्री तनवीर हसन, व.ले.प.अ. |
| 7 | निरीक्षण अधिकारी का नाम | श्री तनवीर हसन, व.ले.प.अ. |
| 8 | सामान्य अभ्युक्तियॉ | जिन आपत्तियों का निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नहीं हो पाया उन्हें प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है। |
| 9 | क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया? | हॉ |
| 10 | 18 विवरणी संलग्न है? | हॉ |

## दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

## (Disclaimer certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद, नरकटियागंज, जिला– पश्चिमी चंपारण द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गयी हो तो उसका उत्तरदायित्व प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना कार्यालय का नहीं होगा।

## भाग II(क)

## Report on findings related to PA on teachers' recruitment in Nagar Parishad Narkatiyaganj (West Champaran)

### कण्डिका(1) Delay in issue of appointment letters and issue of an appointment letter without obtaining clarification

As per provisions of the Bihar Nagar Nikay Secondary and Higher Secondary (appointment and service conditions) Rules 2012 as revised from time to time, the candidates qualified in the Teacher Eligibility Test were to be appointed to the post of Secondary/Higher Secondary Teacher and Librarian.

The Principal Secretary, Education Department, Government of Bihar vide his letter No. 556 dated 20.05.2014 and letter No. 568 dated 22.05.2014 directed that niyojan units who have not completed niyojan process during first to fourth phase of teachers niyojan shall organise fifth phase of camp on 26.05.2014 for appointment of higher secondary teachers. It was also directed that appointment letters shall be issued on the date of camp itself or anyhow within three days from the date of camp failing which it would be assumed that appointment letters have been issued to candidates and action would be taken against niyojan units as per rule.

In course of test check of records of teacher's niyojan of Nagar Parishad, Narkatiaganj it was noticed that 12 candidates were selected for various subjects against 57 vacant posts in fifth phase of camp and against that appointment letters of eleven candidates were issued on 20.06.2014 i.e. after 25 days of delay from the date of camp. Whereas appointment letter for one post in Sanskrit subject in general category was not issued due to dispute between two candidates (Sri Bibhakar Dubey and Sri Om Prakash) regarding their presence in the camp. In this regard, direction from District Education Officer, Bettiah was seeked by the niyojan unit through its letter no. 234 dated 11.11.2014 i.e. after lapse of five months. However, the scrutiny revealed that no directions in this regard was given by the DEO, Bettiah. Finally, on 05.05.2015 appointment letter was issued to Shri Bibhakar Dubey on the basis of merit list approved on 14.03.2015.

Nagar Parishad Narkatiyaganj replied that due to engagements of officials of the Nagar Parishad in their official work appointment letters were issued with delay and as no reply was given by the DEO, Shri Bibhakar Dubey was issued appointment letter in light of applications received under a fresh process.

Thus, appointment letters were not issued timely by the niyojan unit and in Sanskrit subject an appointment letter was issued without obtaining clarification from the DEO, Bettiah.

**कण्डिका(2) Niyojan process not conducted due to absence of Niyojan unit in first camp of fourth phase**

Vide letter No. 107 dated 23.01.2014 the Principal Secretary of the Education Department instructed that niyojan units, who had not completed their niyojan process for recruitment of teachers for secondary and higher secondary schools during the first to third phase, had to organize a camp on 29.01.2014 for appointment of teachers for higher secondary schools.

In course of test check of records of Nagar Parishad Narkatiaganj, it was noticed that no work of niyojan was done during the first to third phase against 57 vacant posts of higher secondary teachers. However, Nagar Parishad Narkatiaganj failed to attend the camp organised on 29.01.2014 at Bipin High School, Bettiah which resulted into failure of the purpose of camp organisation. It was also observed that 64 candidates reported their presence in camp in the register of DPO (Establishment), Bettiah who was present in camp.

Nagar Parishad Narkatiaganj replied that due to lack of information of camp organization they could not attend the camp on 29.01.2014.

Thus, Niyojan process could not be completed due to absence of Niyojan unit at camp although candidates were present.

**कण्डिका(3) Non-compliance of reservation roster points for physically handicappeds**

As per Rule 7 of Bihar Nagar Nikay Secondary and Higher Secondary Teachers (Appointment and Service Conditions) Rule 2012 as revised from time to time three percent horizontal reservation was to be given to physically handicapped candidates on roster points 1,34 and 67 in 100 points (for visually handicapped-1percent, hearing handicapped-1 percent and orthopedically handicapped- one percent). In case of non-availability of physically handicapped candidates, the vacant post was to be carried forward for two years.

In course of test check of records of teachers niyojan of Nagar Parishad Narkatiaganj it was noticed that subject-wise and category-wise four posts of secondary teachers were filled up on the basis of approved roster (dated 27.07.2012) during third phase 2012. On the basis of roster point seven candidates were employed in three High schools as secondary teachers and according to approved roster by DEO reservation was to remain effective horizontally for handicappeds but other candidates on reserved roster point 1 were selected by Niyojan unit Nagar Parishad, Narkatiaganj. Details are given below:

| Sl. No. | Name of teacher S/Shri | Category | Subject | Date of employment | Roter point of emplolyment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Upendra Prasad Gupta | UR | Hindi | 01-02-2014 | 01 |
| 2. | Sanjay Kumar | SC | Science | 20-06-2014 | 01 |
| 3. | Ajay Kumar Dubey | UR | Math | 01-02-2014 | 01 |
| 4. | Rajan Kumar | UR | Social Science | 01-02-2014 | 01 |

For the above-mentioned four subjects no physically handicapped candidate was selected for roster point 1.

Nagar Parishad Narkatiaganj replied that the recruitment process for the first and second phase was organized by the Sub Divisional Officer, Bettiah and in the third phase and due to nonavailability of eligible handicapped candidates, their appointment was not made.

It was not clear from the records whether physically handicapped candidates were selected in the first and second phase and if not then these posts should have been kept vacant for two years if physically handicapped candidates were not available.

**कण्डिका(4) Two vacancies in Sanskrit subject remaining unfilled due to delay in conveyance of vacancy position**

As per provisions of the Bihar Nagar Nikay Secondary and Higher Secondary (appointment and service conditions) Rules 2012 as revised from time to time the candidates qualified in the Teacher Eligibility Test were to be appointed to the post of Secondary/Higher Secondary Teacher and Librarian.

The DPO (Establishment) Betiah reported nil vacancy to Nagar Parishad Narkatiaganj under every subject for secondary schools in fifth phase (2016) on 25.06.2016. However, on 28.09.2016 the DPO reported that under horizontal reservation two vacant posts are available in Sanskrit subject for secondary schools.

As the application receiving register was already closed by the Niyojan unit on 23.09.2016, no applications could be made by the candidates under the Sanskrit subjects for the Secondary schools.

Nagar Parishad Narkatiyaganj replied that guidance was sought from the DPO (Establishment) in this matter but as no reply was given applications were not solicited in Sanskrit.

Thus, due to delay in conveyance of vacancy to the Niyojan unit, the vacancy under Sanskrit subject for Secondary schools could not be filled.

**कण्डिका(5)Vacancy not filled due to repeated changes in Scheduled date of selection process of teacher's Niyojan**

As per provisions of Bihar Nagar Nikay Secondary and Higher Secondary (appointment and service conditions) Rules 2012 as revised from time to time, the candidates qualified in the Teacher Eligibility Test were to be appointed to the post of Secondary/Higher Secondary Teacher and Librarian.

Test check of records of Nagar Parishad Narkatiyaganj revealed that after fourth phase 2015 (dated 31.12.2015), there was nil vacancy in Secondary Schools while in Higher Secondary Schools 33 vacancies were available subject-wise/ roster- wise as on 25.06.2016.

Thereafter, the recruitment process under the fifth phase was started and as per the instructions of the Education Department, Government of Bihar the various stages of the appointments were to be completed during the period 10.06.2016 to 26.09.2016. However, the Education Department, Government of Bihar repeatedly revised the scheduled date for recruitment and selection process of Secondary and Higher Secondary applicants. The details of which are as follows:-

| Sl. No. | Amended Programme period | Reference letter No. of Department and date |
|---|---|---|
| First | 10.06.2016 to 26.09.2016 | 924 dt. 09.06.2016 |
| Second | 22.08.2016 to 04.11.2016 | 1258 dt. 13.08.2016 |
| Third | 13.12.2016 to 16.01.2017 | 1947dt. 09.12.2016 |
| Fourth | 15.12.2016 to 24.01.2017 | 2064 dt. 23.12.2016 |

Finally, Nagar Parishad Narkatiyaganj could fill only two vacancies (one in English and one in Social Science) in the fifth phase out of total 33 vacancies under the Higher Secondary.

The Nagar Parishad Narkatiyaganj replied that the frequent change of schedule was done at the level of Education Department and 31 vacancies could not be filled due to non-availability of eligible candidates.

Thus, due to revision of schedule repeatedly by the Education Department, only two Niyojan Letters were issued to the candidates for higher secondary schools and 31 post remained vacant in 2016-17 due to ill planning of recruitment and selection process.

**कण्डिका(6) Fifty-six percent posts of teachers remaining vacant**

Following is the position of available vacancies and appointments of teachers made under Nagar Parishad Narkatiyaganj during 2013-16:

| Sl.No | Category of Schools | Vacancies | Appointments made | Posts vacant till date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Grade (General) | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Basic Grade (Urdu) | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Middle Schools (6 to 8) | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Secondary (Other Subjects) | 7 | 7 | - |
| 5 | Secondary (Sanskrit) | 2 | - | 2 |
| 6 | Secondary (Music/Dance/Arts) | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Higher Secondary (Other Subjects) | 49(57-8) | 18 | 31 |
| 8 | Higher Secondary (Music) | 2 | - | 2 |
| | Total | 85 | 37 | 48 |

As evident from the table given above, out of total 85 vacant posts of teachers in various categories of schools, only 37 posts were filled and 48 posts i.e. 56 percent of total vacancies remained vacant till close of audit.

Nagar Parishad Narkatiyaganj replied that due to non-availability of eligible candidates and due to non-joining of some candidates after receiving of appointment letters the rest posts could not be filled.

**भाग– II ख**

**कण्डिका** (7) **राजस्व की हानि – रू. 7.14 लाख**

लेखा परीक्षा मे उपलब्ध कराये गये सैरात से संबंधित संचिका के जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित सैरातो की बदोवस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि हुई–

| क्र सं0 | सैरात का नाम | 2016–17 का (सुरक्षित जमा राशि) | 2016–17 | 2017–18 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रजिस्ट्री कचहरी स्थित शौचालय | 17000 | 0 | 0 |
| 2 | चीनी मिल के समीप साईकिल स्टैड | 1980 | 0 | 0 |
| 3 | रजिस्ट्री कचहरी के समीप साईकिल स्टैंड | 1925 | 0 | 0 |
| 4 | स्टेट बैक के समीप साईकिल स्टैड | 2200 | 0 | 0 |
| 5 | ब्लॉक के समीप साईकिल स्टैड | 2090 | 2550 | 0 |

उक्त सैरातो की बंदोवस्ती वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में नहीं होने के कारण कुल 25655 (17000+1980+1925+2200+2550) रू0 की हानि हुई। साथ ही भारी वाहन से संबंधित सैरात की बंदोवस्ती वर्ष 2016–17 में रू0 1531000 में हुआ था परंतु विभागीय वसूली किये जाने के कारण वर्ष 2017–18 में कुल 841700 रू0 ही वसूली किया गया, जिसके कारण कुल 689300 (1531000– 841700) की क्षति हुई। इस प्रकार वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कुल 714955 (689300+ 25655) के राजस्व की क्षति हुई। जवाब में बतलाया गया कि डाकवक्ता के भाग नहीं लेने के कारण उपरोक्त पांच सैरातो का बंदोबस्ती नहीं हो सकी एवं कर्मचारियों की कमी के कारण इनकी विभागीय वसूली नहीं की गई। भारी वाहन से संबंधित सैरात की विभागीय वसूली में कम वसूली का कारण एक ही कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति होने के कारण हुए हैं।

अतः इस संबंध में विस्तृत जांचकर लेखापरीक्षा कार्यालय को राजस्व की हानि के कारणों से अवगत कराया जाय।

**कंडिका (8) <u>निबंधन शुल्क की वसूली नहीं एवं मुद्रांक शुल्क की कम वसूली रू. 3.83 लाख</u>**

सरकार के आदेशानुसार बन्दोवस्ती की राशि पर 5% निबंधन शुल्क तथा 5% मुद्रांक शुल्क अधिरोपित है। परंतु नगर परिषद्, नरकटियागंज के बंदोवस्ती से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिका के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में 7 (सात) तथा 2017–18 में 5 (पांच) बन्दोवस्ती किया गया था। जिसमें कुल 10 बन्दोवस्तधारी द्वारा 3 % बन्दोवस्त राशि का मुद्रांक शुल्क जमा कराया गया था शेष दो बंदोवस्तधारी द्वारा मुद्रांक शुल्क जमा नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार निबंधन शुल्क क बन्दोवस्त राशि 5 % तथा मुद्रांक शुल्क बन्दोबस्त राशि का 5 % अर्थात बन्दोवस्त राशि का 10 % जमा कराया जाता था परंतु कार्यालय द्वारा जमा नहीं कराया गया जिसके कारण सरकार को कुल 383040 रू0 का क्षति हुआ । (विवरणी परिशिष्ट–[illegible] पर संलग्न) अतः लेखा परीक्षा में स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि किन परिस्थितियों में 10 % राशि जमा नहीं कराया गया। साथ ही परिसम्पति पंजी/वसूली लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराने **का भी आग्रह** किया गया। जवाब में बतलाया गया कि संबंधित बंदोबस्तधारी को नोटिस निर्गत करके बकाया निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।

अतः बकाया राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

**कंडिका– (9) संपत्ति कर के अंतर्गत विलंब शुल्क की वसूली नहीं रू. 0.13 लाख**

बिहार नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम (12) के अनुसार वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर के बाद बकाया संपति कर राशि पर प्रतिमाह 1.5 ब्याज वसूल किया जायेगा।

नगर परिषद के संपत्ति कर के वसूली के रसीदों की नमूना जॉच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनेक मामलों में विलंब से जमा किये संपत्ति कर पर ब्याज वसूली नहीं की गयी है। उदाहरण स्वरूप कुछ मामले दिए जा रहे हैं।

| क्र.सं. | बुक नं. | रसीद सं. एवं दिनांक | प्रतिवर्ष संपति कर की वार्षिक राशि | देय ब्याज की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 759/18.03.2017 | 2870(2011-12 से 2012-13) 2977(2013-14 से 2016-17) | 1033, 2143 |
| 2 | 01 | 3/1.10.2016 | 3588 (2010-11 से 2012-2013), 6684 (2013-14) | 1937, 1203 |
| 3 | - | 5926/29.08.2016 | 2694(2013-14 से 2016-17) | 1940 |
| 4 | 03 | 221/21.11.2016 | 2520(2012-13) 5533 (2013-14 से 2016-17) | 453 3840 |
| | | | कुल | 12549 |

विलंब से जमा किये संपत्ति कर पर ब्याज की वसूली नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराने को कहा गया एवं साथ ही अन्य मामलों को अपने स्तर से जांच कर ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया।

जवाब में बतलाया गया कि वर्तमान में ब्याज की वसूली की जा रही है। अतः दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। बकाया ब्याज की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय।

**कण्डिका (10) पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कडिकाओं का अनुपालन नहीं किया जाना**

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं की स्थिति इस प्रकार थी –

| क्र0सं0 | अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 | अंकेक्षण अवधि | निस्तारण हेतु लंबित कंडिकाएँ |
|---|---|---|---|
| 1. | 36/1979–80 | 1974–75 से 1977–78 | 05 |
| 2. | 82/1980–81 | 1978–79 | 05 |
| 3. | 61/1984–85 | 1982–83 | 06 |
| 4. | 143/1992–93 | 1986–87 | 10 |
| 5. | 3/1994–95 | 87–88 से 92–93 | 11 |
| 6. | 63/98–99 | 93–94 से 97–98 | 09 |
| 7. | 166/06–07 | 98–99 से 04–05 | 08 |
| 8. | 192/08–09 | 05–06 से 07–08 | 00 |
| 9. | 117/13–14 | 08–09 से 11–12 | 21 |
| 10 | 221/16–17 | 2012–13 से 15–16 | 14 |
| | | कुल | 89 |

उपर्युक्त लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अंकेक्षण में प्रस्तुत करने को कहा गया।

जवाब में बतलाया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।

अतः पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को लंबित कंडिकाओं का अनुपालन यथाशीघ्र लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाए।

**कण्डिका (11)** **वित्तीय संव्यवहार**

राकेड़ बही के प्रविष्टियों के अनुसार वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि में आय–व्यय निम्न प्रकार था–

| क्रम सं0 | विवरण | 2016–17 | 2017–18 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रा0 शेष | 349725815 | 199390264 |
| 2 | वर्ष की प्राप्तियाँ | 133416735 | 99187810 |
| 3 | कुल योग | 483142550 | 298578074 |
| 4 | व्यय | 283752286 | 56967573 |
| 5 | अन्तशेष | 199390264 | 241610501 |
| 6 | बैंक खाताओं का अंतशेष | | 245757443 |
| 7 | अन्तर | | 4146942 |

31.03.2018 को बैंक खाताओं के अंतशेष की विवरणी

| क्रमांक | बैंक का नाम | शाखा | खाता संख्या | मद | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBI | | 2283695437 | नाली निर्माण | 933638 |
| 2 | CBI | | 3153761389 | प्रशासनिक भवन | 102951 |
| 3 | CBI | | 2283695426 | पथ निर्माण | 676915 |
| 4 | CBI | | 2283725554 | नगरीय अधारभूत संरचना | 13859 |
| 5 | CBI | | 3132617386 | मैचीग ग्रांट | 662836 |
| 6 | CBI | | 3132628296 | 13 वॉ वित | 31692 |
| 7 | CBI | | 3227329481 | कबीर अत्येष्टि वि0 धटक | 876050 |
| 8 | CBI | | 3148763587 | कबीर अंत्येष्टि सा0 धटक | 1715922 |
| 9 | CBI | | 2211997454 | BUIDCO | 23505200 |
| 10 | CBI | | 2211908532 | सांसद निधि | 23600 |
| 11 | SBI | | 35197656309 | स्वच्छ भारत मिशन | 1940797 |
| 12 | SBI | | 11421885608 | N.S.D.P | 53852 |
| 13 | SBI | | 30471373766 | डी. पी. आर | 174214 |
| 14 | SBI | | 11421910181 | U.D.S.M.T | 5012163 |
| 15 | SBI | | 11421885619 | 12 वॉ वित | 36025 |
| 16 | SBI | | 11421885596 | समिति निधि | 402688 |
| 17 | PNB | | 7212000100020971 | Holding Tax | 9276297 |
| 18 | PNB | | 7212000100020980 | IHSDP | 8266 |
| 19 | PNB | | 7212000100020944 | समिति निधि | 11537716 |
| 20 | PNB | | 7212000100020962 | राज्य योजना | 15826 |
| 21 | PNB | | 7212000100089558 | आवास याजे ना | 26862585 |
| 22 | UBGB | | 1002981010000481 | समिति निधि | 7082151 |
| 23 | UBGB | | 1001851030002388 | पेंशन+SJSRY | 7667992 |
| 24 | UBGB | | 1002981010000535 | राष्ट्रीय बंदी वस्ती | 14172 |
| 25 | UBGB | | 1002981010003422 | पिछडा क्षेत्र अनुदान | 1249883 |
| 26 | UBGB | | 1002981010001535 | IDSMT | 305071 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | UBGB | | 100298101000 524 | मुख्यमंत्री विकास योजना | 583253 |
| 28 | UBGB | | 100298103000 1527 | जनगणना | 249590 |
| 29 | UBGB | | 100298101000 534 | स्वर्ण जयंती | 8370 |
| 30 | UBGB | | 100298101000 3657 | मुख्यमत्री आधारभूत संरचाना | 1386741 |
| 31 | PLA | | 235 | ट्रेजरी | 156428279 |
| कुल योग :– | | | | | 258838594 |

नगर परिषद् नरकटियागंज द्वारा संघारित रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीः–

1. दैनिक योग, त्रैमासिक योग, दैनिक अन्तशेष एवं वार्षिक विवरणी तैयार नहीं किया गया।
2. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया।
3. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया।
4. कोषागार खाता के अतिरिक्त यथा प्रस्तुत 30 अन्य बैंक खातों का परिचालन किया गया परन्तु सहायक रोकड़ बहियों का संधारण नहीं किया गया।

उतर में बताया गया कि क.सं. 1 से 4 पर वर्णित विवरणियों का संसरण कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं हो पाया है। भविष्य में कर लिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त विवरणियों का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

**कण्डिका (12)** बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए है। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना है। नगर विकास बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष का बजट अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के सम्बद्ध उपबन्धों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निकाय को लौटा देगी। लेखापरीक्षा में उपलब्ध वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के बजट एवं रोकड़ बही के अनुसार बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय– व्यय में अत्यधिक विचलन था, जो निम्नलिखित है–

| | 2016–17 | 2017–18 | विचलन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| बजट के अनुसार अनुमानित आय | 521123276 | 861507500 | 90 |
| वास्तविक आय | 43753996 | 99187810 | |
| बजट के अनुसार अनुमानित व्यय | 221785000 | 843556000 | 90 |
| वास्तविक व्यय | 25016714 | 56967573 | |

इसमें सरकार के दिशानिर्देश के विपरीत 5% से अत्यधिक विचलन था। साथ ही पाया गया कि वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के बजट में दर्शाया गया 2015–16 तथा 2016–17 का वास्तविक आय– व्यय का राशि एक ही है, जो संभव नहीं है। तथा वर्ष 2016–17 के बजट वास्तविक आय–व्यय एवं रोकड़ पंजी का वास्तविक आय–व्यय में अंतर है। जो निम्न है–

| | बजट | रोकड़ पंजी | अंतर |
|---|---|---|---|
| आय | 43753996 | 133416735 | 89662739 |
| व्यय | 25016414 | 283752286 | 258735872 |

अतः उक्त पाये गये विचलन, दोनों वर्ष का वास्तविक आय– व्यय की एक ही राशि एवं बजट तथा रोकड़ पंजी के वास्तविक आय–व्यय में पाये गये अंतर के कारणों को स्पष्ट किया जाय।

**(ख) बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिकों की राय इकट्ठी की जाएगी। नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय एवं व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थायी समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझावों विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है। नगर परिषद द्वारा बजट बनाते समय नियम 132 का पालन नहीं किया गया, इसके कारण सार्वजनिक सहभागिता नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया।

**(ग) बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं**

बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट की अर्द्ध वार्षिक समीक्षा कर यह जॉच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है, साथ ही समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तव में पाँच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है। परन्तु नगर परिषद द्वारा बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी एवं बजट तथा वास्तविकता में अत्यधिक विचलन था।

**(घ) वार्षिक लेखा का संधारण नहीं**

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की उपधारा 86 एवं 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के चार माह के अन्दर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा की मदें पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय का लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अन्तर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 120 के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण भी बी.एम.आर. प्रपत्र–71 में तैयार करना है तथा नियम 122 के तहत प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बी.एम.आर प्रपत्र–71, आय तथा व्यय विवरण बी.एम.आर. प्रपत्र 73 एवं आर्थिक चिटठा बी.एम.आर. प्रपत्र– 74 में संधारित करना है, परन्तु नगर परिषद द्वारा न तो वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था और न ही लेखा नियमावली के अनुसार कोई वित्तीय विवरण ही तैयार किया गया था। **जवाब में बतलाया गया** कि

क) i) भविष्य में बजट को वास्तविकता के अनुरूप बनाया जायेगा।

ii) इंगित की गई आंकड़ों से संबंधित रूपयों को जांच कर सुधार लिया जाएगा।

ख) भविष्य में बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

ग) बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा की जाएगी।

घ) वार्षिक लेखा का संधारण कर लिया जायेगा।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है।

**कंडिका– (13) योजनाओं का अनियमित कार्यान्वयन**

बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–2 ब0/विविध–21–14/2014/5088/ न0वि0 एवं आ0वि0 के आदेशानुसार संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं को योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं दिया जाना है साथ ही एक समय में अधिक से अधिक तीन योजनाए ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दिया जाना है। परंतु उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी के जॉच से चलता है कि उक्त आदेश का उल्लंघन कर एक संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता को एक ही समय में तीन से अधिक योजनाओं का कार्यान्वयन दिया गया है।

| क्रसं0 | कनीय अभियंता | वर्ष 2016–17 | वर्ष 2017–18 |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री रविरंजन कुंवर (संविदा पर नियुक्त) | 19 | 4 |
| 2 | श्री बिहारी राम (संविदा पर नियुक्त) | 18 | 4 |
| 3 | श्री अरविन्द कुमार सिंह (नियमित) | 12 | 4 |
| 4 | श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नियमित) | 15 | 2 |

अतः किस आदेश के अंतर्गत उक्त कार्य को कराया गया इसे लेखा परीक्ष में स्पष्ट किये जाने के लिए कहा गया।

जवाब में बतलाया गया कि वर्तमान में किसी भी संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता को विभागीय कार्य नहीं दिया जा रहा है। भविष्य में भी इस निति का पालन किया जाएगा। जहां तक नियमित कनीय अभियंताओं को एक समय में तीन से अधिक कार्य आवंटित करने का प्रश्न है। इस संबंध में कहना है कि उपर्युक्त ऑकड़ें पूरी वित्तीय वर्ष के हैं जबकि वास्तविकता में किसी को भी एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं की गई है।

अतः उत्तर से संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय तथा भविष्य में संविदा पर नियुक्त कर्मियों को विभागीय कार्यों का आवंटन नहीं किया जाय।

**कण्डिका (14) दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर व्यय (रू. 101.98 लाख)**

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए रोकड़ पंजी के नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक की अवधि में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर कुल रू0 10198413 व्यय किया गया। (परिशिष्ट– ।।पर संलग्न) सरकारी आदेशों के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति बगैर सरकार को अनुमोदन प्राप्त किए प्रतिबन्धित है।

सरकार के आदेश के विरूद्व दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति किस प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति से किया गया इसे लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

जवाब में बतलाया गया कि कर्मियों की कमी के कारण दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से कार्य कराया गया है।

अतः दिया गया उत्तर मान्य नहीं हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर किये गये व्यय की सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।

**कण्डिका(15)** **<u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान रू0 405805</u>**

निर्माण कार्य में लघु–खनिज यथा–पत्थर बालू, ईट मिट्टी एवं अन्य का उपयागे संवदे कों द्वारा किया जाता है। उक्त लधु खनिजों की खरीदगी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक या उपट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम

40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र 'एम' तथ 'एन' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है। ताकि कार्य विभाग प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके 'एम' तथा 'एन' के शपथ को असत्य पाए जाने या संवेदक द्वारा 'एम' तथा 'एन' में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियामवली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है। नगर परिषद् द्वारा उपथापित नाला निर्माण एवं चतुर्थ राज वित आयोग मद के अभिलेखों के नमुना जाँच में पाया गया कि निम्न योजनाओं में स्टाने चिप्स, बालु एवं ईंट की आपूर्ति से संबंधित न ही चलान और न ही एम0एंड0एन प्रपत्र आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया गया था। जबकि इस योजना में अभिकर्ता को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। निम्न योजनाओं में ढुलाई पर रू0 405805 का भुगतान किया गया था। परन्तु एम एवं एन प्रपत्र के बिना यह पता नहीं चल सका कि ढुलाई कितने कि0 मी0 से किया गया। ढुलाई पर किये गये व्यय का विवरण निम्न है–

| क0सं | योजना का संख्या/मद | सामग्री | मापी पुस्त का पृष्ठ सं0 | ढुलाई पर व्यय | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 72/2016–17 (पंचम राज्य वित) | Bricks | 5 | 12202 | |
| | | Sone Sand | | 93126 | |
| | | Stone chips | | 115729 | |
| 2 | 38/2016–17 (पंचम राज्य वित्त) | Bricks | 9 | 12093 | |
| | | Sone Sand | | 85517 | |
| | | Stone chips | | 87138 | |
| कुल योग | | | | 405805 | |

<u>लेखा परीक्षा आपत्ति</u>

(क) लेखा परीक्षा में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि अभिकर्ता द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' नगर परिषद् कार्यालय में जमा किया गया अथवा नहीं।

(ख) ढुलाई भाडा से संबंधित अभिश्रव संचिका में नहीं पाया गया।

(ग) प्रपत्र 'एम' तथा 'एन नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित योजनाओं में ढुलाई पर किये गये भुगतान मो0 रू0 405805 को क्यों नहीं अनियमित माना जाए ?.

जवाब में बतलाया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः दिया गया उतर मान्य नहीं है क्योंकि ढुलाई मद में किया गया भुगतान सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्ध था।

**कंडिका– (16) जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के रू0 2733 जमा नहीं**

नगर परिषद्, नरकटियागंज के द्वारा उपलब्ध कराये गये जन्म मृत्यु से संबंधित पंजी के जॉच में पाया गया कि (वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक) जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में लिया गया शुल्क श्रीमती मीनाक्षी कुमारी द्वारा रू0 2733/– सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है।

श्रीमती मीनाक्षी कुमारी द्वारा रू0 2733 जमा नहीं किये जाने कारण लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

जवाब में बतलाया गया कि रसीद vol No-7 Serial No-649 द्वारा रू. 2733 (दो हजार सात सौ तैंतीस रूपया मात्र) की वसूली श्रीमती मीनाक्षी कुमारी से कर ली गई है।
अतः बैंक में जमा का साक्ष्य अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

**कंडिका– (17) बकाया दुकान किराया रू 9.23 लाख**

नगर परिषद नरकटियागंज द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर परिषद द्वारा आवटित दुकान के दुकानदारों पर दिनांक 31.03.2018 को कुल राशि रू 923689/– किराया बाकी है। विस्तृत विवरणी निम्नवत है–

| क्रम सं0 | दुकान का विवरण | कुल दुकानों की संख्या | 31.03.2018 को बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | विपिन बिहारी वर्मा मार्ग | 37 | 282012.00 |
| 2. | शिवगंज चौक (सुलभ शौचालय में) मार्केट काम्पलेक्स | 4 | 22800.00 |
| 3. | हरदिया चौक (सुलभ शौचालय में) मार्केट काम्पलेक्स | 5 | 65968.00 |
| 4. | पोखरा चौक (दिनकर मार्ग) मार्केट काम्पलेक्स | 24 | 412615.00 |
| 5. | विपिन बिहारी वर्मा मार्ग | 9 | 77611.00 |
| 6. | शिवगंज चौक (सुलभ शौचालय में) मार्केट काम्पलेक्स | 6 | 62683.00 |
| | कुल | 85 | 923689.00 |

दुकान किराया के रूप में कुल रू 923689/– वसूल नहीं किये जाने के कारण लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। जवाब में बतलाया गया कि बकाया वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है।

**कंडिका– (18) सम्पत्ति कर की वसूली संतोषप्रद नहीं रू. 3.37 करोड़**

सम्पत्ति कर की मांग एवं वसूली पजी का संधारण नहीं किया गया था नगर परिषद्, द्वारा उपलब्ध कराये विवरणी के अनुसार वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में मांग एवं वसूली की स्थिति निम्न है–

| बकाया मॉग | 2016–17 | 2017–18 |
|---|---|---|
| | 27617602 | 30482205 |
| हाल मॉग | 5264510 | 6262655 |
| कुल मॉग | 32882112 | 36744860 |
| कुल वसूली | 2399907 | 3067900 |
| कुल बकाया | 30482205 | 33676960 |
| वसूली का प्रतिशत | 7.87 % | 9.1 % |

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वसूली का प्रतिशत घटते क्रम में है। अर्थात 2016–17 में 7.87 % एवं वर्ष 2017–18 में 9.1 % है। जो कि संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2017–18 के अंत में रू0 3.37 करोड़ संपति कर के रूप में बकाया है। जो एक बहुत बड़ी राशि है। इतनी कम वसूली के कारणों से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

जवाब में बतलाया गया कि संपत्ति कर की वसूली बढाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है।

**कंडिका–(19) संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रू 8.90 लाख शुल्क बकाया रहना**

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क रू 40000/ प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क 10000/ प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्याा के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है। नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 20 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे, जिसमें 20 टावर उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे
एवं उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर रू0– 890000 (वर्ष 2016–17 से 2017–18 का) शुल्क बकाया था। जिसका विवरण निम्नवत है

| क0 सं0 | टावर /जमीन मालिक का नाम | टावर की सं0 | अधिष्ठापन वर्ष | बकाया पंजीकरण शुल्क | रिन्युवल 31.03. 2018 तक | शुल्क जमा | कुल योग 31. 03.2018 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ए0टी0सी0 | 3 | शून्य | 120000 | 20000 | 100000 | 40000 |
| 2. | टाटा | 1 | शून्य | 40000 | 20000 | _ | 60000 |
| 3. | एयरटेल | 5 | शून्य | 200000 | 20000 | _ | 220000 |
| 4. | एयरसेल | 4 | शून्य | 160000 | 20000 | _ | 180000 |
| 5. | रिलायंस | 2 | शून्य | 80000 | 20000 | 10000 | 90000 |
| 6 | जी0आइ0एल | 1 | शून्य | 40000 | 20000 | _ | 60000 |
| 7 | भारती इनफ्रटेक्स | 1 | शून्य | 40000 | 20000 | _ | 60000 |
| 8 | आइडिया | 1 | शून्य | 40000 | 20000 | _ | 60000 |
| 9 | टेलीनेर | 2 | शून्य | 100000 | 20000 | - | 120000 |
| कुल योग | | 20 | | 820000 | 180000 | 110000 | 890000 |

अपंजीकृत टावरों को पंजीकरण शुल्क रू 890000.00 की वसूली हेतु नगर निकाय द्वारा क्यों नहीं की गयी।

जवाब में बतलाया गया कि बकाया वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है।

अतः उतर के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है।

**कंडिका– (20) अपूर्ण योजना पर व्यय 2571.163 लाख**

UIDSS MT अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सड़क सह नाली निर्माण कार्य बुडको के माध्यम से नियुक्त वैभव कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. द्वारा कराया गया जिसका विवरण निम्न है–

| क्र०सं० | कार्य | प्रा. राशि |
|---|---|---|
| 1 | रोड सह नाला निर्माण | 4713 लाख |

**उक्त योजना के** अंतर्गत नगर परिषद **नरकटियार्ंज को कुल रु** 4085. 495 **लाख प्राप्त हुआ तथा** नगर परिषद द्वारा **योजना के** कार्यान्वयन हेतु BUIDCO **को कुल रु** 2571. 163 **लाख उपलब्ध कराया** गया जिसका विवरण निम्न है–

| क्र०सं० | दिनांक | राशि (लाख) | बैंक | खाता स० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.6.12 | 567 | SBI | 30471373766 |
| 2 | 19.10.12 | 567 | SBI | 30471373766 |
| 3 | 10.01.13 | 1137.163 | SBI | 30471373766 |
| 4 | 13.06.14 | 300 | CBI | 2211997454 |
| | | 2571.163 | | |

**उक्त योजना कनीय** अभियंता के प्रतिवेदक के अनुसार **अभी तक अपूर्ण** है **तथा शेष** राशि विभाग **को वापस कर** दिया गया।

**लेखा परीक्षा टिप्पणी**

**क)** क्या BUIDCO **को** दिए गये राशि **का पावती प्राप्त** किया गया।

**ख)** किन परिस्थिति में अपूर्ण योजना होते हुए अवशेष राशि विभाग को वापस किया गया जबकि विभाग के निर्देशानुसार अपूर्ण योजना को एक माह के अन्दर पूर्ण कर शेष बचे राशि को वापस किया गया था।

**ग)** क्या विभाग को वापस की गई राशि का पावती प्राप्त किया गया राशि रू. 30488318 का

**घ)** शेष बचे राशि की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

जवाब में बतलाया गया कि–

(1) बुडको एवं विभाग से वापस की गई राशि की पावती प्राप्त कर ली जाएगी।

(2) अपूर्ण योजना के संबंध में बुडको एवं नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचित कर दिया गया है एवं पूर्ण कार्य कराने का आग्रह किया गया है।

(3) अभी तक बुडको/विभाग को रूपये 41680192 (56700000+ 113716300+ 30000000+ 158575574+ 30488318) वापस किया जा चुका है।

अतः पावती प्राप्त कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत करें एवं अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने का प्रयास करें।

## भाग– III (TAN)

**टिप्पणी– 1 सेवापुस्तिका संधारण में अनियमितताएँ**

नगर परिषद्, नरकटियागंज के निम्नलिखित कर्मचारियो की सेवापुस्तिका की जॉच की गई–

(1) श्री जयप्रकाश चौरसिया, निम्नवर्गीय लिपिक

(2) श्रीमती बसंती देवी, तहसील अनुसेविका

(3) श्रीमती मीनाक्षी कुमारी, अनुसेवक

नमूना जॉच में पाया गया कि किसी भी कर्मचारी के छुट्टी के लेखाओं की विवरणी का संधारण नहीं था। सेवापुस्तिका में किसी भी कर्मचारी का फोटो नहीं पाया गया। इसे लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

जवाब में बतलाया गया कि इंगित की गई कमियों को दूर कर दिया जाएगा।

अतः कमियों को दूर कर अगले लेखापरीक्षा में सेवापुस्तिका उपलब्ध कराया जाय।

**टिप्पणी– 2 अनुदान पंजी का संधारण नहीं**

सरकार के नियमानुसार अनुदान पंजी का संधारण किया जाता है परन्तु जॉच में पाया गया कि अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया है। परन्तु रोकड़ पंजी के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक कुल 134405924 रू0 अनुदान प्राप्त हुआ है। लेकिन अनुदान पंजी का संधारण नहीं

किये जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वर्ष 2016–17 से 2017 से 18 तक कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ तथा कितना व्यय किया गया तथा इसमें कितना राशि शेष बचा है।

अतः किन कारणों से अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया इसे लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय साथ ही व्यय की गई राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाय। जवाब में बतलाया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण पंजी का संधारण नहीं किया जा सका है। निकट भविष्य में संधारण कर दिया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

**टिप्पणी– 3 अभिलेख अनुपलब्ध**

निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया–

1. subsidiary cashbook, Asset / Property Register
2. Scheme Register, Bill Book and Remittance Register
3. No any series of cheque book issued by bank and Treasury
4. Stock Register as permanent / Consumable Articles
5. Bank and Treasury Reconcilation Statement
6. Register of Demand Draft/Cheque /Bank Received from other offfices/authority
7. Budget Control Register, articles of TA/Medical LTC bills and Pay Bill Register
8. Guard File relating to others/instruction
9. Log books- Vehicle, generator, Photocopy Machine
10. Grant Register and allotment Register
11. Demand and collection Register of property tax, shop rent and trade licence
12. Report relating to internal Audit and inspection
13. Compliance of previous Audit reports

जवाब में बतलाया गया कि कन्जुमेबल आर्टिकल्स की स्टॉक पंजी एवं गाड़ियों का लॉग बुक प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष अभिलेखों को संधारित करके अगले लेखा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अगले लेखापरीक्षा में संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाय।

–हस्ता0–<br>
(तनवीर हसन)<br>
व0ले0प0अ0<br>
–अनुमोदित–<br>
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I / स्था0नि0)

प्रति : 1 वर्ष 2017-18 परि०.17 (38)

भाग II ले०कं० डिमांड-8 भाग II ख० डिमांड 8

| क्र०सं० | लाईसेंसधारी का नाम | राशि | सुरक्षा शुल्क कटौती का 10% (5% सुरक्षा + 5% किराया) | किराया कटौती | कम कटौती |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जीप, टैक्सी, मिनीबस | 872800 | ~~26250~~ 87280 | 26250 (P/213) | 61030 |
| 2 | व्यावसायिक ट्रैक्टर | 740600 | 74060 | 22218 (P/210) | 51842 |
| 3 | बाजार हाट | 850000 | 85000 | 25500 (P/207) | 59500 |
| 4 | बस शुल्क | 79000 | 7900 | 2370 (P/204) | 5530 |
| 5 | [illegible] शौचालय | 53000 | 5300 | शून्य | 5300 |
| | | | | | 183202 |

वर्ष 2016-17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] शौचालय | 45800 | 4580 | शून्य | 4580 |
| 2 | ब्लाक के समीप साईकिल स्टैंड | 2550 | 255 | 77 (P/192) | 178 |
| 3 | भारी वाहन | 1531000 | 3100 | 46000 (P/191) | 42900 |
| 4 | बस शुल्क | 64000 | 6400 | 1920 (P/188) | 4480 |
| 5 | जीप, टैक्सी, मिनीबस | 750000 | 75000 | 22500 (P/184) | 52500 |
| 6 | व्यावसायिक ट्रैक्टर | 635000 | 63500 | 19050 (P/176) | 44450 |
| 7 | बाजार हाट | 725000 | 72500 | 21750 (P/181) | 50750 |
| | | | | | 199838 |

कुल कम वसूली = 383040 रु०

संजीव कुमार [illegible]

लेखापरीक्षक

कंडिका 14 भाग II (ब)

# परिशिष्ट - II

## दैनिक मजदूरी पर भुगतान

150

| क्रमांक | दिनांक | भुगतान |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.6.16 | 867176 |
| 2 | 4.8.16 | 36685 |
| 3 | 4.8.16 | 29082 |
| 4 | 4.8.16 | 30130 |
| 5 | 4.8.16 | 32750 |
| 6 | 4.8.16 | 18078 |
| 7 | 13.8.16 | 709970 |
| 8 | 16.9.16 | 417206 |
| 9 | 4.10.16 | 481272 |
| 10 | 2.11.16 | 509990 |
| 11 | 14.12.16 | 24000 |
| 12 | 14.12.16 | 24000 |
| 13 | 14.12.16 | 24000 |
| 14 | 21.12.16 | 24000 |
| 15 | 21.12.16 | 10616 |
| 16 | 30.12.16 | 350928 |
| 17 | 10.1.17 | 486371 |
| 18 | 10.2.17 | 456052 |
| 19 | 4.3.17 | 416297 |
| 20 | 12.4.17 | 449269 |
| 21 | 16.5.17 | 493692 |
| 22 | 16.6.17 | 463981 |
| 23 | 7.7.17 | 482026 |
| 24 | 10.8.17 | 354910 |
| 25 | 11.9.17 | 412239 |
| 26 | 10.10.17 | 488908 |
| 27 | 11.12.17 | 454798 |
| 28 | 5.1.18 | 486727 |
| 29 | 19.2.18 | 609455 |
| 30 | 9.3.18 | 553805 |

कुल - 10198413 1.01L